न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 65/2020

–: प्रार्थी :–

1. भेरूराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी मंगेरिया तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. बक्साराम पुत्र बुधाराम फौत के कायम मुकाम–
   - 1/1 जगाराम पुत्र बक्साराम
   - 1/2 हरिराम पुत्र बक्साराम
   - 1/3 आसाराम पुत्र बक्साराम
   - 1/4 तुलछा देवी पत्नी नृसिंहराम
   - 1/5 मनिषा पुत्री नृसिंहराम नाबालिग जरिये वली माता तुलछा देवी पत्नी नृसिंहराम
   - 1/6 कोची देवी पुत्री बक्साराम
   - 1/7 सीता देवी पुत्री बक्साराम
   - 1/8 भिदा देवी पुत्री बक्साराम
   - 1/9 केसू देवी पुत्री बक्साराम
2. श्रवणसिंह पुत्र भीकाराम
3. परसाराम पुत्र गिरधारीराम
4. मोडाराम पुत्र गिरधारीराम
5. बद्रीराम पुत्र गिरधारीराम
6. रामनिवास पुत्र गिरधारीराम
7. सुखाराम पुत्र गिरधारीराम
8. मंगलाराम पुत्र पूनाराम
9. मंछाराम पुत्र केसाराम
10. रामप्रकाश पुत्र हरदीनराम
11. श्रवणराम पुत्र हरदीनराम
12. बलदेवराम पुत्र हरदीनराम
13. साबूदेवी पुत्री हरदीनराम
14. घेवरी पत्नी हरदीनराम
15. हरसुखराम पुत्री जोधाराम
16. मूलाराम पुत्र जोधाराम
17. सुरजाराम पुत्र जोधाराम
18. [illegible] जोधाराम
19. [illegible]म पुत्र राणाराम
20. [illegible]शराम पुत्र राणाराम
21. रामनिवास पुत्र राणाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

22. ओमाराम पुत्र राणाराम
23. कोजाराम पुत्र राणाराम
24. सिणगारी पत्नी राणाराम जातियान जाट
    निवासीगण मंगेरिया तहसील भोपालगढ़
    जिला जोधपुर
25. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. श्री मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:–24/02/2021**

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया गया जिसमें बताया कि राजस्व ग्राम मंगेरिया तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 360 जिसके खसरा नं. 668 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 669 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम भूमि प्रार्थी की आयी हुई है जिसके सबूत में नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक व नक्शा ट्रेश संलग्न पेश है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जा सुद जमीन ग्राम मंगेरिया के खसरा नं. 668 व 669 कुल रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा आयी हुई है। खसरा नं. 669 के दक्षिण में गै.मु. रास्ता पूर्व दिशा में खसरा नं. 670 उत्तर दिशा में खसरा नं. 665 व खसरा नं. 668 के दक्षिण में गै.मु. रास्ता उत्तर दिशा में खसरा नं. 668 पश्चिम दिशा में खसरा नं. 657 आये हुवे है। प्रार्थी की भूमि खेत खसरा नं. 669 के पूर्वी माठ पर आये दिन अप्रार्थी संख्या 01 पूर्वी माठ को खुर्द बुर्द कर रहे है। खसरा नं. 668 के पश्चिमी माठ को अप्रार्थी संख्या 10 से 24 आये दिन खुर्द बुर्द करके अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे है। जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थीगण की भूमि खाता संख्या 360 जिसके खसरा नं. 668 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 669 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा भूमि का नाप चौप करवाकर सीमांकन करवाकर पत्थरगड्डी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम मंगेरिया के खसरा नं. 668 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 669 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा का नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत् मूल वाद शीर्षक में अप्रार्थी संख्या 19 झमकू पत्नी जोधाराम फौत होने से एवं झमकू के कायम मुकाम पूर्व में ही पक्षकार होने से अप्रार्थी संख्या 19 झमकू का नाम विलोपित करने का पेश किया जो बाद सुनवायी स्वीकार किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 19 झमकू का नाम विलोपित करने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 24 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया जिसके अनुसार प्रार्थीगण के ग्राम मंगेरिया के खसरा नं. 668 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 669 रकबा 05 बीघा 09

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

बिस्वा खातेदारी भूमि का सीमांकन एवं नाप चौप कर पत्थरगढ़ी हेतु आदेश दिया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मंगेरिया के खसरा नं. 668 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 669 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी हेतु टीम गठित कर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जावे। सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी हेतु आवश्यक संसाधन प्रार्थी उपलब्ध करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनॉक 24/02/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner